आगरा में ऐतिहासिक स्थलों पर टिकटो की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग

1083 **श्री रामजीलाल सुमन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आपातस्थिति के दौरान आगरा के ऐतिहासिक स्थलो पर यात्रियो से 2 रुपये प्रति टिकट की दर से टिकटो की बिक्री से प्राप्त राशि को किस प्रयोजन के लिये खर्च किया गया, और

(ख) राज्य सरकार से मन्त्रणा करके इसको घटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) और (ख) यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अन्तर्गत निर्धारित नियमो के अनुसार किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा में केन्द्र द्वारा सरक्षित चार स्मारको पर प्रति दर्शक से पचास पैसे प्रवेश शुल्क वसूल करता है। इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि सरकार को राजस्व के रूप मे दी जाती है। स्मारको के रख-रखाव के लिये बजट में अलग से व्यवस्था है।

इन चार स्मारको पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति दर्शक रु० 1 50 की अतिरिक्त राशि एकत्र की जा रही है। भारत सरकार ने इस व्यवस्था को अनुमोदित नही किया है और इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है। राज्य सरकार ने जो पक्ष लिया है, वह यह है कि उसके द्वारा सगृहीत-इस अतिरिक्त शुल्क की आय का प्रयोग आगरा मे सामान्य रूप से यात्रियो की सुविधाओ को सुधारने और उनके रख-रखाव के लिए विशेषरूप से इन स्मारको के लिये होगा।

बिहार को पशु पालने के लिए केन्द्रीय अनुदान

1085 **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के आर्थिक पिछडेपन को दूर करने हेतु सरकार का विचार पशुपालन के लिये ऋण देने तथा बिहार के कमजोर वर्गों को रोजगार के विशेष अवसर प्रदान करने का है, और

(ख) यदि हा, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) तथा (ख) कमजोर वर्गों के लाभ के लिए बिहार सहित सभी राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो मे विशेष पशुपालन कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमो मे सकर प्रजनित बछडो को पालने, प्रत्येक 50 से 100 पक्षियो के कुक्कुट पालन यूनिटो, 3 शूकरो के सुअर यूनिटो तथा 20 भेडो व एक दुम्बे के भेड यूनिटो की व्यवस्था करने का उद्देश्य है।

कुक्कुट पालन, सुअर पालन तथा भेड यनिटो के मामले मे अभिज्ञात लघु कृषको को उत्पादन यनिटो को स्थापित करने के लिये अपेक्षित पूजी निवेश के 25 प्रतिशत के हिसाब से जबकि सीमात कृषको व कृषि श्रमिको को 33⅓ प्रतिशत के हिसाब से राज्य सहायता दी जाती है। शेष पूजी निवेश की व्यवस्था लाभानुभोगियो को ऋण के रूप मे सस्थागत स्रोतो से करनी होती है। 4 से 28 मास के सकर प्रजनित बछडो को दाना-चारा देने के लिए लघु तथा सीमात कृषको की श्रेणी के अभिज्ञात लाभानुभोगियो को दाने-चारे की कुल लागत के 50 प्रतिशत के हिसाब से तथा कृषि श्रमिको को 66⅔ के हिसाब से राजसहायता दी जाती है।